

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:-एफ24(NOC18-19)/बी.एड./आकाशि/18/244

दिनांक:-02.4.2018

आदेश

निर्देशानुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा पारिषद् (एन.सी.टी.ई.) द्वारा बी.एड./बी.पी.एड. (2 वर्षीय पाठ्यक्रम) के संचालन हेतु मान्यता प्राप्त एवं राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त शिक्षण-प्रशिक्षण महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों हेतु सत्र 2014-15 में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सीटों अथवा सत्र 2016-16 में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा पारिषद् के रेगुलेशन 2014 के अनुसार निर्धारित सीटों में से, जो भी कम हो की प्रदत्त मान्यता के अनुसार सत्र 2018-19 के लिए संलग्न सूची के अनुसार शिक्षण-प्रशिक्षण महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों को केन्द्रीकृत प्रदेश व्यवस्था के तहत विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु अघोषित शर्तों के अधीन अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र एतद्वारा जारी किया जाता है।

1. प्रदेश में केन्द्रीकृत प्रदेश व्यवस्था के अन्तर्गत बी.एड. कोर्स में महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के माध्यम से पी.टी.ई.टी.2018 परीक्षा की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिये जायेंगे।
2. प्रदेश में केन्द्रीकृत प्रदेश व्यवस्था के अन्तर्गत बी.पी.एड. कोर्स में राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के माध्यम से प्री.पी.पी.एड. परीक्षा 2018 की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिये जायेंगे।
3. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय, सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की कोई राशि विद्यार्थियों से नहीं लेने। यदि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है, तो संबंधित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की मान्यता को तुरन्त प्रभाव से समाप्त कर दिया जायेगा।
4. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय को एन.सी.टी.ई. एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सभी मापदण्डों की पूर्ति करने के साथ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों की पालना करनी होगी। मापदण्डों की पालना नहीं करने पर राज्य सरकार अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर सकेगी।
5. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा उपयुक्त योग्यताधारी शिक्षकों की उपलब्धता की सुनिश्चिता की जायेगी।
6. निजी विश्वविद्यालयों को शिक्षण-प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालन हेतु प्रदेश में केन्द्रीकृत व्यवस्था के अन्तर्गत सम्बन्धित नोटल एजेन्सी के माध्यम से प्रवेश पूर्व परीक्षा की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिये जायेंगे।
7. राज्य सरकार के नियमानुसार राज्य स्तरीय काउन्सिलिंग में भाग ले रहे महाविद्यालय/विश्वविद्यालय स्वयं के स्तर पर अथवा अन्य फंडरेशन/सोसायटी आदि के द्वारा परीक्षा आयोजित कर या अन्य किसी आधार पर पृथक से शिक्षण-प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रदान नहीं करेंगे।
8. राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश के सभी निजी शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थाओं को सत्र 2018-19 के लिए अभिवृद्धि शुल्क राशि रुपये 25000/- राजकोष के मद 0202-01-103-02-03 बी.एड. महाविद्यालय से प्राप्तियां में जमा कराकर काउन्सिलिंग से पूर्व सम्बन्धित नोटल एजेन्सी में ई-चालान रसीद की एक प्रति एवं एक प्रति आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर में अनिवार्य रूप से जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।
9. समस्त शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थाओं स्वयं की वेबसाईट निर्मित करेंगे। उसके URL Name को आवेदन में अंकित करना होगा। इस वेबसाईट में महाविद्यालय को निम्न बिन्दुओं का आवश्यक रूप से उल्लेख करना होगा :-
  - i. महाविद्यालय की आधारभूत संरचना से सम्बन्धित दस्तावेज
  - ii. महाविद्यालय भवन में उपलब्ध कक्षाओं की संख्या, प्रायोगशाला, माप एवं चित्र
  - iii. महाविद्यालय में संचालित कोर्स में नामांकित छात्रों की संख्या (सुल स्वीकृत सीट, प्रवेशित छात्रों की संख्या)
  - iv. एन.सी.टी.ई. रेगुलेशन 2014 के नियमानुसार सम्बन्धित विश्वविद्यालय से अनुमोदित वार्षिक स्टॉफ एवं अधीक्षणिक स्टॉफ की सूची
  - v. प्रत्येक 15 दिन में वेबसाईट अपडेट भी करनी होगी।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आयुक्त  
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा, (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा, (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. समन्वयक, बी.एड., बी.पी.एड./बी.एस.सी. 2018 महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि सभी शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थाओं से ई-चालान रसीद प्राप्त करने के पश्चात् काउन्सिलिंग में भाग लेने की अनुमति प्रदान करें।
6. समन्वयक, प्री.पी.पी.एड. 2018, शिक्षा विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि सभी शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थाओं से ई-चालान रसीद प्राप्त करने के पश्चात् काउन्सिलिंग में भाग लेने की अनुमति प्रदान करें।
7. राजिस्ट्रार, समस्त विश्वविद्यालयों को भेजकर लेख कि संस्थाओं का सम्बद्धता प्रदान करने से पूर्व एन.सी.टी.ई. के मान्यता पत्र के बिन्दु 4 व 5 की पूर्ण पालना सुनिश्चित करें।
8. क्षेत्रीय निदेशक, एन.सी.टी.ई. जीवन बीमा भवन, अम्बेडकर सर्किल, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर।
9. परियोजना अधिकारी, राज्य सूचना (एन.आई.सी.), शासन सचिवालय, जयपुर।
10. राजिस्ट्रार/सचिव/प्राचार्य, सभी शिक्षण-प्रशिक्षण महाविद्यालय/विश्वविद्यालय
11. प्रभारी वेबसाईट, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित है कि विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
12. रक्षित प्रतिलिपि।

S.No.	District	Institute Name	Tehsil	B.Ed Type	2018-19 seats
407	Jaipur	Sri Balaji T T College (112W107)	Ambher	W	100
408	Jaipur	Sri Krishna Sansthan T T College (112W108)	Chomu	W	100
409	Jaipur	St. Wilfred's T T College (112C040)	Sanganer	C	200
410	Jaipur	St. Xavier T T College (112C041)	Phagi	C	100
411	Jaipur	Super King Teachers Training College (112C042)	Sanganer	C	100
412	Jaipur	Supreme Bal Bharti Shikshan Prashikshan Mahavidhyalay (112C043)	Phulera	C	100
413	Jaipur	Swami Ganga Das Shikshak Prashikshan Mahavidhyalaya	Virat Nagar	C	100
414	Jaipur	SWAMI VIVEKANAND TEACHER TRAINING COLLEGE (112C149)	Bassi	C	100
415	Jaipur	Swroop College of Education (112C061)	Chaksu	C	100
416	Jaipur	Tagore Teachers Training College (112C044)	Kotputli	C	100
417	Jaipur	Tagore Teachers Training College (112C044)	Kotputli	C	100
418	Jaipur	Taj Memorial T T College (112C055)	Kotputli	C	100
419	Jaipur	Tilak Teachers Training College (112W109)	Sanganer	W	200
420	Jaipur	Triveni Shikshak Prashikshan Mahavidhyalay (112C045)	Shahpura	C	100
421	Jaipur	Ujas College of Education (112C050)	Sanganer	C	100
422	Jaipur	UNIVERSE TEACHERS TRAINING COLLEGE (112C146)	Sanganer	C	100
423	Jaipur	Vasundhara Mahila T T College (112W110)	Ambher	W	100
424	Jaipur	Vidhyagram Shikshak Prashikshan Mahavidhalaya (112W113)	Chomu	W	100
425	Jaipur	Vidyasthali Mahila T T College (112W111)	Sanganer	W	200
426	Jaipur	Vinayak T.T. College (112C136)	Chomu	C	100
427	Jaipur	Vivek T T College (112C048)	Jaipur	C	100
428	Jaisalmer	Ma Durga Shikshan Sansthan Mahila T T College (113W003)	Jaisalmer	W	100
429	Jaisalmer	Pokran T T College (113C002)	Pokaran	C	100
430	Jaisalmer	Ramdev T T College (113C001)	Jaisalmer	C	100
431	Jalore	C.T.E (College for Teacher Education) B.Ed. College.	Bhinmal	C	100
432	Jalore	Lord Shiva Girls Teachers Training College (114W004)	Bhinmal	W	100

17/11/2018

**आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।**

क्रमांक:-एफ24( )NOC19-20/ बी.एड/आकाशि/19/305

दिनांक:-05.7.2019

**आदेश**

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन.सी.टी.ई.) के मान्यता आदेश के अनुसरण में निम्नलिखित शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय को सत्र 2019-20 के लिए बी.ए.बी.एड./बी.एससी.बी.एड.(4 वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम) के संचालन हेतु केन्द्रीयकृत प्रवेश व्यवस्था के तहत विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु अधोलिखित शर्तों के अधीन अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र एतद्वारा जारी किया जाता है।

1. प्रदेश में केन्द्रीयकृत प्रवेश व्यवस्था के अन्तर्गत समन्वयक पीटीईटी, राजकीय जूंगर महाविद्यालय, बीकानेर के माध्यम से पी.टी.ई.टी. परीक्षा 2019 की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिये जायेंगे।
2. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय, सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की कोई राशि विद्यार्थियों से नहीं लेंगे। यदि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है, तो संबंधित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की मान्यता को तुरन्त प्रभाव से समाप्त कर दिया जायेगा।
3. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय को एन.सी.टी.ई एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सभी मापदण्डों की पूर्ति करने के साथ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों की पालना करनी होगी। मापदण्डों की पालना नहीं करने पर राज्य सरकार अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर सकेगी।
4. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा उपयुक्त योग्यताधारी शिक्षकों की उपलब्धता की सुनिश्चितता की जावेगी।
5. राज्य सरकार के निर्णयानुसार राज्य स्तरीय काउन्सिलिंग में भाग ले रहे महाविद्यालय/विश्वविद्यालय स्वयं के स्तर पर अथवा अन्य फेडरेशन/सोसायटी आदि के द्वारा परीक्षा आयोजित कर या अन्य किसी आधार पर पृथक से शिक्षण-प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रदान नहीं करेंगे।
6. The Institution shall maintain & update its Web-site as per provisions of NCTE Regulation and always display as mandatory disclosure the following:-
  - i. Copy of Application Form
  - ii. Land and Building Particulars
  - iii. Approved Teaching Staff Profile and Non Teaching Staff List
  - iv. Recognition Order
  - v. Information regarding fulfillment of norms & standards and other conditions for the course
  - vi. No of Enrolled students(Total Alotted Seat, No of Admitted Students)

क्र.सं.	संस्था का नाम व पता	पाठ्यक्रम का नाम	एन.सी.टी.ई के मान्यता आदेश क्रमांक व दिनांक	सीट संख्या	सहशिक्षा/ महिला
1	<b>Vivek Degree Teacher Training College,</b> Village- Kalwar, Kalwar Road, Tehsil- Jhotwara, Dist-Jaipur-303706	B.A.B.Ed./ B.Sc.B.Ed. (4 Year Integrated)	NRC/NCTE /APP-2016-15097 /Recognition/ 285th Meeting /2018 /194997 dt.29-06-18	100 (2 Unit)	सहशिक्षा

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(प्रदीप कुमार बोरोड)  
आयुक्त एवं सार्वजनिक सचिव,  
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनाार्थ प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा, (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा, (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. समन्वयक, पीटीईटी-2019, राजकीय जूंगर महाविद्यालय, बीकानेर।
6. रजिस्ट्रार, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को भेजकर लेख कि संस्थाओं का सम्बद्धता प्रदान करने से पूर्व एन.सी.टी.ई. के मान्यता पत्र के विन्दू 5 व 6 की पूर्ण पालना सुनिश्चित करें।
7. क्षेत्रीय निदेशक, एन.सी.टी.ई. जीवन बीमा भवन, अम्बेडकर सर्किल, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर।
8. परियोजना अधिकारी, राज्य सूचना(एनआईसी), शासन सचिवालय, जयपुर।
9. सचिव/प्राचार्य, **Vivek Degree Teacher Training College, Village- Kalwar, Kalwar Road, Tehsil- Jhotwara, Dist-Jaipur-303706**
10. प्रभारी वेबसाइट, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित है कि विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावें।
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(निजी संस्था)



# UNIVERSITY OF RAJASTHAN, JAIPUR

## Office Order

No. Acad. II/2018/ 17688

Dated: 21/5/2018

On the basis of the recommendations made by Board of Inspection dated 14.05.2018 vide Resolution No. 01 & 10 duly approved by the Hon'ble Vice-Chancellor, extension of provisional affiliation is granted to the following B.Ed/M.Ed Colleges in the courses as mentioned against each for the session 2018-19, subject to adherence of the conditions laid down by the Inspection Team, if any:-

No	Name of College	Course(s) with seats & Condition(s)	Granted /Granted with fulfillment of condition
1	Shri Shirdi Sai Baba Mahila B.Ed College, Kishangarh, Renewal, Jaipur. Mob 01424227536, 99928729543 E.Mail- saibababedcollege@yahoo.in	B.Ed. - Four Units (50 Student each)	Extension affiliation is granted provisionally subject to the condition that the college will deposit enhanced endowment fund of Rs. 35 Lakh per Programme as per UGC Regulation clause 3.2.2 of UGC Regulation 2009 if the final judgment of the Hon'ble High Court vide writ petition no. 23842/2017 outcomes in favour of University of Rajasthan, Jaipur till that norms for endowment fund will be applicable as per previous academic year as per directions of Hon'ble Court
2	Baba Bhagwan Das Government PG College, Chimanpura, Shahpura, Jaipur. Mob. 9799162220, 9799162220 E.Mail- bbdcollege@rediffmail.com	B.Ed. - Two Units (50 Student each)	Extension affiliation is granted provisionally subject to the condition that the college will deposit enhanced endowment fund of Rs. 35 Lakh per Programme as per UGC Regulation clause 3.2.2 of UGC Regulation 2009 if the final judgment of the Hon'ble High Court vide writ petition no. 23842/2017 outcomes in favour of University of Rajasthan, Jaipur till that norms for endowment fund will be applicable as per previous academic year as per directions of Hon'ble Court
3	Bharti Teacher Training College NH-11A Lalsor Road, Badagavon, Nangal, Rajawatan, Dausa. E.Mail- Indiadausa4@gmail.com	B.Ed. - Two Units (50 Students each)	Extension affiliation is granted provisionally subject to the condition that the college will deposit enhanced endowment fund of Rs. 35 Lakh per Programme as per UGC Regulation clause 3.2.2 of UGC Regulation 2009 if the final judgment of the Hon'ble High Court vide writ petition no. 23842/2017 outcomes in favour of University of Rajasthan, Jaipur till that norms for endowment fund will be applicable as per previous academic year as per directions of Hon'ble Court
4	Taj Memorial T.T. College, Vill-Jagdishpura, Post-Sharund, Korpuli, Jaipur. Mob 9950375878, 9694315666 E.Mail- tajmemorialcollege@gmail.com	B.Ed. - Two Units (50 Students each)	Extension affiliation is granted provisionally subject to the condition that the college will deposit enhanced endowment fund of Rs. 35 Lakh per Programme as per UGC Regulation clause 3.2.2 of UGC Regulation 2009 if the final judgment of the Hon'ble High Court vide writ petition no. 23842/2017 outcomes in favour of University of Rajasthan, Jaipur till that norms for endowment fund will be applicable as per previous academic year as per directions of Hon'ble Court

T. J. J.